प्रह्लाद दास - गोपाल दास आदि मु. न. 283/2014

दिनांक	आज्ञा पत्र	
20.9.24	पत्रावली पेश। [illegible] पक्ष [illegible] [illegible] [illegible] हेतु [illegible] [illegible]। पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 23.9.24 को पेश हो। [signature]	Noted Radhakishan
23.9.24	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 1.10.24 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
1.10.24	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14.10.24 को पेश हो।	
14.10.24	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21.10.24 को पेश हो।	
21.10.24	पत्रावली पेश। पक्ष [illegible] [illegible]। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 24.10.24 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	राजस्व अपील प्राधिकारी * सीकर *
24.10.24	पत्रावील पेश। अपील अपीलांट ख़ारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीव तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 283/2011

1 प्रहलाद दास उम्र 65 साल पुत्र स्व. मूलदास जाति स्वामी निवासी ग्राम सेवा तहसील धोद जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 गोपालदास मृत
1/1 भंवरलाल पुत्र स्व. गोपालदास
1/2 ओमप्रकाश पुत्र स्व. गोपालदास
1/3 रतनलाल पुत्र स्व. गोपालदास
समस्त जाति स्वामी निवासीगण सेवा तहसील धोद जिला सीकर।
1/4 सुशीला पत्नी मदन स्वामी पुत्री स्व. गोपालदास
1/5 विमला पत्नी रामनिवास पुत्री स्व. गोपालदास
समस्त जाति स्वामी निवासीगण इन्द्रपुरा बड़वाली ढाणी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
1/6 सोनी पत्नी इन्द्राज पुत्री स्व. गोपालदास
1/7 सरोज पत्नी सुरेन्द्र पुत्री स्व. गोपालदास
समस्त जाति स्वामी निवासीगण पकोड़ी ढाणी तन नांगल तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
2 श्रीमती राधा देवी पुत्री स्व. मूलचन्द पत्नी हीरादास जाति स्वामी निवासी खारंडा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
3 श्रीराम पुत्र पूर्णदास
4 श्रीमती मैना देवी पत्नी पूर्णदास
5 तहसीलदार जी तहसील सीकर।

रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलेक्टर द्वितीय
सीकर दावा बउनवानी गोपालदास बनाम गणपति देवी
वगै. दावा संख्या 348/2008 तारीख फैसला 14.10.2011

उपस्थिति :

1. श्री नसीर अहमद खान, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजय सिंह तंवर, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 24.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 348/2008 में पारित निर्णय दिनांक 14.10.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद ग्राम सेवा की भूमि खसरा नम्बर 382, 383 के संदर्भ में उद्घोषणा हेतु प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा दावा व जवाब दावा के आधार पर कोई तनकीयात नहीं बनाई तथा न ही दस्तावेज को स्वीकार व अस्वीकार करवाये गये बिना साक्ष्य लिये ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का दावा को डिक्री कर सख्त भूल की है। गणपति देवी जो एवं मूलदास की पत्नी है। जिसने अपने हिस्से की भूमि का हक त्याग किया था जिससे विधिवत रूप से पंजीबद्ध किया गया है। जिसे

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

निरस्त करने के लिए सिविल न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकता है परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा बिना क्षेत्राधिकार के हक त्याग के संबंध में कोई फाइडिंग दिये बिना तथा जवाब में उठायी गयी आपत्ति को नजर अन्दाज कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में दावा डिक्री कर सख्त भूल क है। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा जवाब में यह बताया था कि गोपाल दास स्वामी जानकी दास का चेला है जानकीदास की सम्पति विरासत में प्राप्त कर ली है। अब उसका मूलदास की सम्पति में कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा देव स्थान विभाग राजस्थान सरकार से भी खर्चा प्राप्त कर रहा है इससे यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त कृषि भूमियों से गोपालदास का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा व दस्तावेज का अवलोकन, विशलेषण किये बिना ही मनमाना निर्णय पारित किया है। इसलिए विचारण न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14.10.2011 निरस्त किए जाने की कृपा करें एवं वाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 खारिज फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि गणपति देवी पत्नी मूलदास के तीन पुत्र व एक पुत्री हुये तथा गणपति देवी को विरासत में अपने पति से प्राप्त भूमियों में प्राप्त हिस्से को अकेले अपने पौत्र श्रीराम के पक्ष में हकत्याग दिनांक 22.07.2004 के द्वारा भूमियां अन्तरित की है विचारण न्यायालय द्वारा खातेदारी हिस्सेनुसार दी जाकर दावा डिक्री करने पर श्रीराम द्वारा जिसके पक्ष में हकत्याग हुआ था उसके द्वारा कोई अपील नहीं की गयी। प्रश्नगत भूमियों का हकत्याग प्रलेख दिनांक 22.07.2004 को दावे के प्रतिवादी संख्या 1 गणपति देवी जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 श्रीराम की दादी थी ने अपनी पुश्तैनी कृषि भूमियों का हक त्याग कानून के विपरित जाकर अपने पौत्र श्रीराम को कर दिया गया जबकि हिन्दू परिवार के सभी सदस्य उक्त सम्पदा में अपना हक हिस्सा रखते थे तथा गणपति देवी एच.यू.एफ. की सदस्य थी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

इसके बावजूद अपने अन्य पुत्रों को अपने हक हिस्से से वंचित करने की नियत से रेस्पोडेन्ट सख्या 3 ने मुगालते व धोखे में रखकर उक्त हकत्याग पत्र अपने पक्ष में तहरीर तकमील करवा लिया गया जो कानून की नजर में अवैध व प्रारम्भतः शुन्य है। विचारण न्यायालय ने पुश्तैनी कृषि भूमियों में गणपति देवी पत्नी मूलदास के सभी वारिसों का हक हिस्सा मानकर दिनांक 14.10.2011 को बाद सुनवाई डिक्री किया गया तथा गणपति देवी पत्नी मूलदास के सभी वारिसान को खातेदार काश्तकार माना जाकर दावा डिक्री किया गया जो सही है। प्रश्नगत अपील में जिस डिक्री से हक त्याग जो गणपति देवी द्वारा श्रीराम के पक्ष में किया गया है उसको विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त कियिा जाकर गणपति देवी पत्नी मूलदास के सभी वारिसान को हिस्सा जिसमें तीन पुत्र व एक पुत्री शामिल करते हुए खातेदारी अधिकारी दिये गये है यहां महत्वपूर्ण यह है कि उक्त हकत्याग पत्र वादीगण के हक अधिकारों की हद तक प्रभावशुन्य कर दिये जाने के पश्चात जिसके पक्ष में (रेस्पोडेन्ट संख्या 3 श्रीराम) हकत्याग किया गया था उसके द्वारा कभी कोई आपत्ति नहीं की गयी तथा नाही उसके द्वारा प्रश्नगत अपील की गयी प्रश्नगत अपील प्रहलाद दास जो कि गणपति देवी का पुत्र है के द्वारा की गयी है जबकि प्रहलाद दास को तो हकत्याग निरस्त हो जाने के कारण भूमियां प्राप्त हुयी है प्रश्नगत अपील क्यो की गयी है अपील में अंकित नहीं किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 श्रीराम ने आपसी साजिश कर बिना किसी कानूनी आधार के यह अपील प्रस्तुत की है जो खारिज होने योग्य है। हकत्याग निरस्ती का अनुतोष सम्पार्श्विक अनुतोष है जो राजस्व न्यायालय भी प्रदान कर सकता है तथा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर व माननीय सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न नजीरों में यह स्पष्ट कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2012(4) राज पेज 2932, एआईआर 1971 राज पेज 164–167 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में पत्रावली जवाब हेतु नियत चल रही थी। विचारण न्यायालय ने जवाब प्राप्त किये बिना तनकी कायम किये बिना साक्ष्य प्राप्त किये बिना विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि जवाब प्राप्त कर, तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.11.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 24.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम भोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर